

BOARD OF TECHNICAL EDUCATION. RAJASTHAN, JODHPUR

ADMISSION CARD FOR NON-ENGG FIRST YEAR FIRST SEMESTER EXAM NOV-2025 (SESSION 2025-2026)

SPN/Enrolment No: CD20250001/019 **Roll No**: 11001

Class: 1st Semester (Reg) Program: (CD) Costume Design & Dress Making

Name: SNEHA Father's Name: KHEM CHAND VERMA

Examination Center: 020 GOVT. WOMEN POLYTECHNIC COLLEGE, BIKANER

Permitted to Appear in the Following Subjects:

Theory And Pactical All Theory & Practical (1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1111,SCA)

Issued on: 14-08-2025 Sign. and Seal of Principal REGISTRAR

Note: Student should read the Instructions carefully below:

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- 1. परीक्षा केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिए गए है की परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केंद्र की सूचना पट्ट पर लगा देवे | सभी परीक्षार्थियों को चाहिए की इन निर्देशों को सूचना पट्ट से पढ़कर अवगत हो जावे|
- 2. परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित देंगे | परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कक्ष में एक जगह नियत कर दी गई है जहा उसका रोल नंबर लिखा होगा | परीक्षार्थी के लिए यह आवश्यक है की सुचना पट्ट से अपनी जगह का पता लगाकर नियत तिथि व समय पर परीक्षा देने ले लिए उपास्थित हो जाये | परीक्षा कक्ष पहले दिन परीक्षा प्रारम्भ होने के 20 मिनट पहले तथा अन्य दिन 10 मिनट पहले खुलेगा | यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद परीक्षा देने उपस्थित होता है तो उसे किसी भी दशा में बैठने नहीं दिया जाएगा |
- 3. परीक्षार्थी को अनुमति पत्र प्रतिदिन परीक्षा भवन में लाना चाहिए तथा मांगे जाने पर दिखलाना आवश्यक है | अनुमति पत्र खो जाने पर केंद्र अधीक्षक से संपर्क कर रु 100 / शुल्क जमा कराकर पुनः प्राप्त कर लेना चाहिए | अनुमति पत्र पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए | अनुमति पत्र न होने की स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा देने से रोका जा सकता है |
- 4. परीक्षार्थी को उन सभी विषय में परीक्षा देनी है जो इस अनुमति पत्र में वर्णित है | किसी प्रश्न पत्र में अनुपस्थित रहने पर पिछले अंको का लाभ नहीं मिलेगा |
- 5. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने निर्दर्शित स्थान पर बैठने से पहले ही अपने सभी वस्त्रों एवं पॉकेट आदि को भली भांति देख ले की उसके पास लिखा या सादा किसी भी प्रकार का कोई कागज आदि नहीं है | परीक्षार्थी यह भी देख ले की उसकी डेस्क, टेबल तथा उनके पास उपलब्ध सेट-स्क्वायर, स्केल, इंस्ट्रमेंट बॉक्स, वस्त्र एवं शरीर के किसी अंग पर कुछ नहीं लिखा हुआ है |
- 6. परीक्षार्थी को प्रथम आधे घंटे में बहार जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अतः उसे चाहिए की पानी पीकर तथा लघु -शंका आदि से निवृत होकर ही परीक्षा भवन में आए ताकि प्रथम आधे घंटे में बहार जाने की आवश्यका नहीं पड़े ।
- 7. उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर आदि लिखने से पहले देख लेना चाहिए की मुख्य पृष्ठ पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की मोहर व कोड अंकित है तथा उत्तर पुस्तिका फटी हुई तो नहीं है | इसमें किसी प्रकार की कमी होने पर वीक्षक को तुरंत सूचित करना चाहिए | प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही परीक्षार्थी उस पर अपना रोल नंबर लिख दे |
- 8. परीक्षार्थी को अपने कलम, पेन्सिल, रबड़, इंस्ट्र्मेंट बॉक्स, कैलकुलेटर आदि लाने होंगे | यह वस्तुए परीक्षा भवन में एक परीक्षार्थी से दूसरे परीक्षार्थी को नहीं दी जा सकेगी | प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का प्रयोग परीक्षा में वर्जित है | गणित विषय की परीक्षा में किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है |
- 9. परीक्षा देते समय परीक्षार्थी के पास किसी प्रकार के नोट्स, पुस्तकों के पृष्ठ अथवा हस्तिलेखित स्लिप्स आदि पाए जाते है अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से बात करते हुए पाए जाने पर अनुचित साधन के उपयोग का दोषी माना जाएगा एवं मंडल के नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी | परीक्षा के दौरान यदि कोई परीक्षार्थी अनुशासन भंग करता है, या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है या उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र के विषय से संबंधित सामग्री के अतिरिक्त कुछ भी लिखता है तो भी उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी |
- 10. परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रतिदिन उपस्थिति के लिए एवं आवेदन पत्र पर कहे जाने पर निर्दिष्ट स्थान पर अपने हस्ताक्षर करना आवश्यक है
- 11. परीक्षा समाप्ति पर परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका परीक्षा कक्ष में नियुक्त वीक्षक को सम्भलवाकर तथा उसकी अनुमति से परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे |
- 12. अनुमति पत्र के जारी किये जाने के पश्यात यदि परीक्षार्थी पूरी परीक्षा अथवा उसके किसी भाग में अनुपस्थित रहता है तो उसकी फीस किसी भी हालत में लौटाई नहीं जाएगी |
- 13. परीक्षार्थी को इन अनुदेशों के अलावा केंद्र अधीक्षक अथवा वीक्षको द्वारा दिए गए अनुदेशों की पालना करनी चाहिए | वह परीक्षा केंद्र अधीक्षक / अतिरिक्त परीक्षा अधीक्षक / वीक्षक की आज्ञा के बिना परीक्षा केंद्र नहीं छोड़ेगा ।
- 14. स्याही परिवर्तन का सत्यापन परीक्षा अधीक्षक / अतिरिक्त परीक्षा अधीक्षक द्वारा करवाना अनिवार्य होगा |

15 - CHECK POINT (as per rules)

- 16. परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण /गैजेट, मोबाइल फ़ोन, पेजर, ब्लूट्रथ अथवा अन्य संचार उपकरण लाना वर्जित है |
- 17. परीक्षार्थी परीक्षा सम्बंधित एवं कोविड-19 बचाव हेत् केंद्र अधीक्षक द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों को पढ़कर अवगत हो जावे तथा उनकी पूर्ण पालना करे |

रजिस्ट्रार